## सार-समाचार

### केडीए आयुक्त ने कार्यभार संभाला

**कोटा,** (निसं)। कोटा विकास प्राधिकरण प्राधिकरण के आयुक्त पद का कार्यभार शुक्रवार को हरफूल सिंह यादव द्वारा ग्रहण किया गया। साथ ही, केडीए आयुक्त ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली जिसमें सचिव, उपायुक्त, निदेशक वित्त, निदेशक अभियान्त्रिकी, निदेशक आयोजना एवं विधि अधिकारी उपस्थित रहे एवं उनसे प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति, नई स्कीम, निर्माण कार्यों में प्रगति, वॉटर लॉगिंग एरिया आदि विषयों पर चर्चा की गई। केडीए आयुक्त ने प्राधिकरण की योजनाएं देवनारायण आवासीय योजना, रानपुर अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के आवासों का निरीक्षण किया तथा इनके कार्य को गुणवत्तापूर्वक कराने एवं शीघ्रता प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने अनन्तपुरा नाले का निरीक्षण किया जिसमें भू-स्वामित्व की जानकारी के निर्देश दिए। उन्होंने सड़को के पेच रिपेयर एवं डिवाईडर, प्लांटेशन व पौधारोपण (हरियालो राजस्थान के तहत) को शीघ्र किए जाने के निर्देश दिए।

### दो ट्रेक्टर चोर गिरफ्तार

**छबड़ा** (निसं)। पुलिस ने जिले में ट्रेक्टर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए ट्रेक्टर चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक चोरी का ट्रेक्टर बरामद किया है। सीआई राजेश खटाना ने बताया कि अशोक गालव पुत्र हीरालाल निवासी हिलव्यु कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 5 जनवरी 2025 को मेरा ट्रेक्टर नम्बर आरजे 28 आरबी 1492 मय ट्रोली के रात्रि के समय गुगोर रोड पर खड़ा किया था। सुबह मैने उठकर देखा तो ट्रेक्टर व ट्रोली वहा नहीं मिले। जिसे कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। इस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई ओर विशेष टीम का गठन करते हुए जगदीश प्रसाद सउनि प्रभारी तकनीकी शाखा बारां से तकनीकी सहायता प्राप्त की गई एवं सीसीटीवी फुटेज खंगाले व मानव आसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया तो यह तथ्य प्रमाणित हुए कि एक संगठित अंतरराज्यीय ट्रेक्टर चोर गैंग पूरे जिले मे सक्रिय है, जो योजनाबद्ध तरीके से विशेष टीम द्वारा ट्रेक्टर चोरी करते है तथा इन चोरी के ट्रेक्टरों को एमपी व यूपी मे चंबल नदी में अवैध बजरी खनन में प्रयोग करते है। इस पर सुजान गुर्जर पुत्र भूरालाल उर्फ गौरेलाल (30) निवासी पृथ्वीपुरा थाना जावर जिला झालावाड व लालू यादव (32) पुत्र गैंदालाल निवासी विलास थाना केंट गुना मप्र को गुना से गिरफ्तार किया। जिनसे गुना पुलिस ने चोरी हुए ट्रेक्टर को बरामद किया। उक्त ट्रेक्टर छबड़ा पुलिस का माल मशरूका होने से जप्त कर आरोपियों को न्यायालय एसीजेएम क्रम एक से प्रोडेक्शन वारंट प्राप्त कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में एएसआई दिलीप कुमार, कांस्टेबल शिवराज, रणवीर, सुनील, रामसिंह, बबलेश व ओमप्रकाश शामिल रहे।

### सातलखेड़ी में लगे सिलिकोसिस स्क्रीनिंग व जागरूकता कैंप

**रामगंजमण्डी,** (निसं)। निरोगी कोटा स्वस्थ कोटा के तहत शुक्रवार को रामगंमण्डी उप खण्ड के सातलखेड़ी में एएसआई कंपनी की कोटा स्टोन खदान पर चिकित्सा विभाग की ओर से सिलिकोसिस स्क्रीनिंग एवं जागरुकता शिविर लगाया गया। इसमें माइंस और आसपास के क्षेत्रों के 54 खनन श्रमिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व परामर्श दिया। सीएमएचओ डॉ.नरेन्द्र नागर ने बताया कि कुल श्रमिकों में से 11 के चेस्ट एक्सरे और बलगम की जांच की गई, 35 श्रमिकों की बीपी व शुगर की जांच की। डीटीओ एसएन मीणा ने बताया कि शिविर में श्रमिकों व अन्य लोगों को सिलिकोसिस से बचाव के लिए उपयुक्त साधन व आवश्यक सावधानियां अपनाने की हिदायत दी। खनन क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य करते समय व ब्लास्टिंग मशीन से खनन में काम करते समय उड़ती धूल-मिट्टी से बचाव करने, खनन क्षेत्रों के कच्चे रास्तों पर पानी का छिड़काव करने, खनन कार्य के समय डस्ट मास्क का उपयोग करने जैसे उपाय बताए गए। साथ ही टीबी रोग से बचाव-उपचार निक्षय मित्र, निक्षय संबल योजना के बारे में भी बताया व जागरूता पैम्फलेट वितरित किए। शिविर में चेस्ट फिजिशियन डॉ. हेमन्त शर्मा और लैब सुपरवाईजर पवन शर्मा सहित सातलखेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉ. मुकेश गुप्ता और उनके स्टॉफ ने सेवाएं दी।

### 200 पौधे लगाए

**कोटा,** (निसं)। लायंस क्लब कोटा टेक्नो ने अपना जन सेवा का अभियान पदभार ग्रहण करते ही शुरू कर दिया है, नई कार्यकारिणी ने ऊर्जा के साथ अपने कार्यों का आगाज किया है। टेक्नो की टीम ने मोदी लॉ कॉलेज के विशाल परिसर में 200 पौधे लगाए हैं साथ ही स्टूडेंट को 50 औषधीय पौधे का भी वितरण किया है। लायंस क्लब कोटा टेक्नो के निदेशक भुवनेश गुप्ता के अनुसार पौधारोपण समारोह के मुख्य अतिथि भीलवाड़ा से कोटा प्रवास पर रहे लायंस क्लब के उप प्रांतपाल प्रथम निशांत जैन रहे। इस अवसर पर निशांत जैन ने संबोधित करते हुए कहा कि हरित क्रांति के लिए हमने जो पहल की है वह काफी प्रेरणास्प्रद है, एक परिवार यदि एक भी पौधा लगता है तो वर्तमान में आ रही अतिवृष्टि, पर्यावरण प्रदूषण, अनावृष्टि व अनगिनत बीमारियां को दूर किया जा सकता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजीव त्यागी ने कहा कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण बेहद ही आवश्यक है।

### वरिष्ठ नागरिक संस्थान ने जूट के बैग बांटे

**कोटा,** (निसं)। वरिष्ठ नागरिक संस्थान द्वारा सावधिक मीटिंग के साथ प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। संस्था अध्यक्ष टीपीएस सेठी ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी सदस्यों को जुट निर्मित बैग वितरित कर संदेश दिया गया कि प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग न करें। सेठी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों ने संकल्प लिया है कि वह जहां भी जाएंगे जूट या कपड़े" का थैला लेकर जाएंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक त्यागी, कमिश्नर नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा विषयांतर्गत सभी को शपथ दिलाई और ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिए नगर निगम द्वारा हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कचरा निस्तारण में हम सभी की भूमिका अहम है, यदि हम सही तरह से कचरे का निस्तारण करते हैं तो शहर स्वच्छ होगा। नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा ने संस्था के सामाजिक कार्यों को सराहा, उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक संस्थान शहर व प्रदेश के मुख्य प्रोजेक्ट पर लम्बे समय से कार्य कर रहा है।

### मालगाड़ी की चपेट से युवक की मौत

**छबड़ा** (निसं)। कोटा-बीना रेल लाइन पर गुगोर फाटक के निकट गुरुवार रात्रि को एक युवक की मालगाडी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची छबड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की सूचना पर पहुंची छबड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक की शिनाख़्त दीगोद हाल मुकाम कोटा निवासी बाबूलाल धाकड़ (41) के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया तथा मृग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

### श्रीराम कथा शुरू

**छबड़ा** (निसं)। बालापुरा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में शुक्रवार से जल कलश यात्रा के साथ श्रीराम कथा शुरू हो गई हैं। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, युवतियो ने भाग लिया। कथावाचक पण्डित रमेश भार्गव ने यहां भगवान शिवजी सती के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान शिव अपनी सती को अगस्त मुनि के आश्रम पर ले जाते हैं और सती के जीवन को सफल करवाते हैं। परंतु सती गुरुजी से कथा नहीं सुन पाती है और उनको भगवान श्रीराम पर संदेह हो जाता है।

# महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम का जन्मदिवस मनाया

**कोटा,** (निसं)। महिला कांग्रेस कोटा शहर जिला अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद शालिनी गौतम के जन्मदिवस के पावन अवसर पर कोटा शहर में जनसेवा से ओत-प्रोत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रक्तदान, गौसेवा, फल वितरण, पौधारोपण और वृद्ध सेवा जैसे पुण्य कार्यों ने इस दिन को प्रेरणादायी बना दिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस महासचिव राखी गौतम रही। युवा नेता करन सिंह नायक द्वारा अग्रवाल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 124 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। शिविर में युवाओं और समाजसेवियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, जिससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सहयोग की भावना को बल मिला। समाजसेवी रोहित प्रजापति ने दादाबाड़ी की गौशालाओं में जाकर गायों को हरा चारा डाला, जो हमारी संस्कृति में गौमाता के प्रति श्रद्धा और संरक्षण की भावना को प्रकट करता है। पूर्व यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आशीष गुर्जर ने मेडिकल कॉलेज के प्रसूति वार्डों में फल वितरित कर नव-प्रसूताओं को शुभकामनाएं दीं और मातृशक्ति का सम्मान किया। मंडल अध्यक्ष धर्मवीर मेघवाल ने स्वामी विवेकानंद नगर स्थित सेवाधाम वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

आदर्श विद्यार्थी सेवा संस्थान द्वारा रंगबाड़ी बालाजी मंदिर परिसर में 200 पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावशाली पहल की। विनोद योगी के नेतृत्व में झुग्गी-झोपड़ियों में बच्चों को खाने के पैकेट वितरित किए गए। राखी गौतम ने कहा कि यह केवल आयोजन नहीं, बल्कि एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि की सोच और समर्पण का प्रतीक है। रक्तदान से लेकर गौसेवा, वृक्षारोपण से लेकर वृद्धजन सम्मान तक हर पहलू में उन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ा और यह दिखाया कि राजनीति का असली उद्देश्य जनसेवा ही है। महिला नेतृत्व जब इस तरह से आगे आता है, तो वह न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि सामाजिक चेतना को भी एक नई दिशा देता है।

शालिनी गौतम ने सभी आयोजकों और सहभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सच्चा उत्सव वहीं होता है जो समाज की सेवा और जरूरतमंदों की मदद के साथ मनाया जाए। मैं सभी सहयोगियों की आभारी हूं जिन्होंने यह दिन मेरे नहीं, समाज के नाम किया। कार्यक्रम में अंकुर गौतम, नरोतम शर्मा, दीपक गुर्जर मंत्री, स्वप्निल शर्मा, रमेश यादव, निरंजन मेघानी, अंकित पांचाल, दीपक योगी, भगवान सिंह भाटी, विनोद योगी, सेवादल अध्यक्ष प्रदीप पंवार, इनायत अली शानू ,चेतन नागर, आशीष नागर, कृष्णा मेहरा, पुलकित गुर्जर, भीमा गुर्जर, अर्पित नंदवाना, सुमित शर्मा, सोनू बंसल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

# जे.के. श्रमिकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी

**कोटा,** (निसं)। सीटू के बैनर तले जे के की मजदूर यूनियनों के नेता कामरेड हबीब खान, कामरेड उमाशंकर, कामरेड नरेंद्रसिंह के नेतृत्व मे जेके मजदूर बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चित कालीन धरना लगाकर बैठे हुए है। जेके मजदूरों की जिला प्रशासन से मांग है की जब तक सरकार से जे के फैक्ट्री की तरफ से बकाया हमारा वेतन भुगतान सरकार से नहीं करवाया जाता तब तक बकाया वेतन भुगतान को लेकर धरना जारी रहेगा। धरने को सम्बोधित करते हुए जे के मजदूर नेता उमा शंकर हबीब खान, कालीचरण सोनी, नरेंद्रसिंह, महिला मजदूर नेता पुष्पा खींची, रोशिया, जाहिदा बानो ने कहा की 18 फरवरी से बकाया वेतन भुगतान की मांग सरकार से कर रहे है। मजदूर नेताओं ने कहा पिछले कुछ दिनों से कोटा जिले मे लगातार मानसूनी बारिश हो रही उसके बावजूद भी जेके फैक्ट्री के मजदूर अपने परिवार की महिलाओं बच्चों सहित इस बारिश मे भी अपनी मेहनत का पैसा सरकार से लेने के लिए डटे हुए हैं।

मजदूरों ने कहा हमारा धरना अंतिम निर्णय हैं हमारा वेतन भुगतान होने तक जिला कलेक्ट्रेट के गैट पर धरना जारी रहेगा। 137वें दिन धरने को मजदूर नेता हबीब खान, नरेंद्रसिंह, उमाशंकर, अली मोहम्मद कालीचरण सोनी, मदन मोहन शर्मा, हनुमान सिँह, केदार जोशी महिला समिति सयोजक पुष्पा खींची, मंत्री रोशिया ओर जाहिदा बानो, रमा रघुवशी आदि ने सम्बोधित किया।

# मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा

**छबड़ा** (निसं)। सालपुरा सड़क मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे को लेकर आक्रोष अब बढ़ता ही जा रहा है। बल्गर की टक्कर से दो युवको की हुई मृत्यु के मामले में ग्रामीणो व परिजनों ने शुक्रवार को छबड़ा प्लांट के मुख्य दरवाजे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और प्रतिनिधिमंडल ने सुपर क्रिटिकल प्लांट के मुख्य अभियंता को तीन सूत्रीय मांगो को लेकर ज्ञापन देते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। ग्रामीणों व परिजनों द्वारा चीफ इंजिनियर को दिए ज्ञापन में मृतको के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने, नौकरी दिए जाने सहित ऑवरलोड वाहनो पर रोक लगाए जाने की मांग की। इस मामले में चीफ इंजिनियर दिनेषसिंह ने बताया कि प्लांट अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर पर सामूहिक रूप से मृतको के परिवारजनों को दो लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

**कार्यालय नगर पालिका सांगोद जिला कोटा (राज.)**

E-Mail Id:- np.sangod@gmail.com Phone No.:-07450-294239

क्रमांक / न0पा0सा0 / भूमि / 2025-26 / 1600-01 दिनांक:-03.07.2025

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण मीट विक्रेताओ को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका सांगोद द्वारा नवनिर्मित मीटमण्डी सोरसन रोड़ सांगोद में मीट विक्रेय हेतु निर्मित दुकानो का आवंटन करने के लिये किये गये सर्वे के अनुसार 18 विक्रेताओ की सूची नियत की गई है जो पालिका नोटिस बोर्ड पर एवं कार्यालय नगर पालिका के कमरा नम्बर 03 में उपलब्ध है। मीट विक्रेताओ की सर्वे सूची पर जिस किसी को भी आपत्ति हो वह दिनांक 11.07.2025 तक अपनी आपत्ति कार्यालय नगर पालिका सांगोद में प्रस्तुत कर सकते है। बाद गुजरने मियाद उक्त सूची पर कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी तथा दिनांक 15.07.2025 से 18.07.2025 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

राज.संवाद / सी / 25 / 5568 प्रशासक अधिशाषी अधिकारी

# सात आवासीय योजनाओं की लॉटरी निकाली

**कोटा,** (निसं)। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा सात आवासीय योजनाओं की लॉटरी जिनमें चन्द्रमौली आवासीय योजना, कुंद कुंद आवासीय योजना, सावित्री बाई फुले, सीए नगर, मोहनलाल सुखड़िया, गोविंद नगर विस्तार तथा देवनारायण नगर आवासीय योजना के कुल 167 आवेदन पत्रों को लॉटरी में सम्मिलित किया गया। लॉटरी की शुरुआत आयुक्त हरफूल सिंह यादव व सचिव कुशल कोठारी द्वारा कमेटी के सदस्यों एवं उपस्थित आमजन के समक्ष भूखंड एवं आवेदक की एक-एक पर्ची निकालकर की गई। इस दौरान निदेशक वित्त डॉ. नीतू सिंह, निदेशक नियोजन के.के. जांगिड, निदेशक विधि राजीव गर्ग, राजस्व सलाहकार परमानन्द गोयल, जिला कलेक्टर प्रतिनिधि इला मिश्रा, सहायक लेखाधिकारी मोहर सिंह मीना, सहा. प्रशासनिक अधिकारी प्रकाश चंद उपस्थित रहे। सफल आवेदकों को आवंटन पत्र प्राप्त करने हेतु विशेष शिविर आयोजित किया जायेगा।

# अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित

**कोटा,** (निसं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि आमजन की समस्याओं का एक छत के नीचे समाधान करने की मंशा के साथ प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े में लगाए जा रहे शिविरों में राजस्व से संबंधित समस्याएं लेकर आने वाले ग्रामीणों की समस्याओं का निदान हो। अधिकारी रास्ता खोलने, आपसी सहमति से भूमि विभाजन, नामांतरकरण, शुद्धिकरण सहित राजस्व से जुड़े अन्य प्रकरणों की विशेष मॉनिटरिंग करें ताकि लोगों को राहत मिल सके।

**राजस्थान सरकार**
**कार्यालय सहायक आयुक्त**
**देवस्थान विभाग कोटा खण्ड**
**कोटा**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन नोटिस**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**
**( नाम वर्णन तथा निवास स्थान )**
**मुकदमा नम्बर 67/2025**

चूंकि श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री नन्द किशोर शर्मा निवासी ग्राम कंवरपुरा तह लाडपुरा जिला कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(2) के अन्तर्गत प्रन्यास "मन्दिर श्री ठाकुर जी चतुर्भुजजी" विराजमान ग्राम कंवरपुरा तह लाडपुरा जिला कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 03.09.2025 है।

**सहायक आयुक्त,**
**देवस्थान विभाग, कोटा**

**कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)**

क्रमांकः-ननिको(उ.) / जनस्वा0 / 2025 / 396-409 दिनांक :- 03.07.2025

**-:: निविदा अवधि विस्तार सूचना ::-**

इस कार्यालय द्वारा नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के मुख्य मार्गो व अन्य आयोजनो हेतु आवाश्यकतानुसार संवेदक के माध्यम से सफाई कार्य हेतु 310 बीट अकुशल श्रमिक की सेवाओं के उपापन के लिए ऑनलाइन बोली। दर संविदा वार्षिक कार्य हेतु ई-निविदा सूचना क्रमांक ननिको(उ) / जनस्वास्थ्य / 2025 / 372-84 दिनांक 23.06.2025 में निम्नानुसार समयावधि विस्तार किया जाता है। उक्त निविदा की तिथि को बढ़ाते हुए डाउनलोड व अपलोड करने की तिथि 30.07.2025 समय सायं 6.00 बजे तक बढ़ाई जाती है एवं तकनिकी बिड खोलने की तिथि 31.07.2025 दोपहर 12.00 बजे तथा वित्तीय बिड तकनिकी परीक्षण पश्चात् खोली जावेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

अति0 आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

राज.संवाद / सी / 25 / 5576

**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक:-2324 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-4.7.25

नगर विकास न्यास कोटा की योजना मुकुन्दरा विहार स्पेशल पुनर्वास के भूखंड/आवास संख्या 178 श्री रघुवीर कुशवाह पुत्र श्री गाजनलाल कुशवाह को आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 08.08.2022 के द्वारा आवंटन जारी किया गया था। आवंटी श्री रघुवीर कुशवाह की मृत्यु दिनांक 07.06.2024 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, वारिसान शपथ पत्र, गवाह शपथ पत्र, आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 178 योजना मुकुन्दरा विहार स्पेशल पुनर्वास का नाम हस्तान्तरण श्रीमती नब्बो बाई पत्नी स्व. श्री रघुवीर कुशवाह के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025/190 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 04.07.2025

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की योजना श्रीरामकृष्णपुरम-बी आवासीय आवास संख्या 115 को आवंटन/ न्यास के पत्र क्रमांक 76 दिनांक 13.05.1998 को श्री बाबूलाल पोरता पुत्र श्री घांसीलाल को आवंटन किया गया था। उक्त आवास की विक्रय स्वीकृति जर्ये मुख्तारआम श्री भीमराज नागर पुत्र श्री राम किशन नागर द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि इस विक्रय स्वीकृति में किसी को कोई एतराज या आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 115 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-बी आवासीय की विक्रय स्वीकृति श्री बाबूलाल पोरता पुत्र श्री घांसीलाल जर्ये मुख्तारआम श्री भीमराज नागर पुत्र श्री राम किशन नागर के नाम जारी कर दी जायेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025/191 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 4.7.25

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की योजना सुभाष नगर आवासीय भूखंड संख्या 891 को आवंटन/न्यास पत्र क्रमांक 98 दिनांक 18.04.1991 को श्री विनय चन्द सिन्हा पुत्र श्री एच.सी. सिन्हा को आवंटन किया गया था। उक्त भूखंड की रजिस्ट्री जर्ये मुख्तारआम श्री वेद प्रकाश तिवारी पुत्र श्री गोपाल प्रसाद तिवारी द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि इस रजिस्ट्री में किसी को कोई एतराज या आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 891 योजना सुभाष नगर आवासीय की रजिस्ट्री श्री विनय चन्द सिन्हा पुत्र श्री एच.सी. सिन्हा जर्ये मुख्तारआम श्री वेद प्रकाश तिवारी पुत्र श्री गोपाल प्रसाद तिवारी के नाम जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

**कार्यालय नगर परिषद बूंदी**

क्रमांक:-1827 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक:-25.6.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रणजीता सिंह पत्नि श्री राज बहादुर निवासी बून्दी का आवेदन नाम परिवर्तन वास्ते प्राप्त हुआ है। भुखण्ड संख्या 20 वाके जमुना रेजीडेन्सी का माप 1200 वर्गफीट पट्टा संख्या 780 दिनांक 26.06.2019 से मेद्या अग्रवाल पत्नि श्री निकि अग्रवाल के नाम जारी किया गया था। जिसको दिनांक 10.10.2024 से जर्ये रजि. विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रणजीता सिंह पत्नि श्री राज बहादुर को बेचान कर दिया गया। आवेदक द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पट्टे में नाम परिवर्तन चाहा है। इस बाबत् किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय हाजा में प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के बाद विचार नही किया जावेगा और नाम परिवर्तन कर दिया जावेगा। सूचित हो।

आयुक्त नगर परिषद, बूंदी

**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक:-एफ/तहसील/क.ब./2025/1062 दिनांक:-2.7.25

**नाम हस्तान्तरण हेतु विज्ञप्ति आम सूचना**

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के तहत सर्वे संख्या 471 कच्ची बस्ती बापू नगर का पट्टा नियमन क्रमांक नियम/आवंटन/10 दिनांक 23.02.2005 को श्रीमती राज कवंर पत्नि श्री महावीर सिंह को आवंटित किया गया था। आवंटी श्रीमती राजकवंर का स्वर्गवास दिनांक 24.02.2020 को हो जाने के कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत हक त्याग रिलीज डीड दिनांक 24.12.2024 एवं शपथ-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री महावीर सिंह पुत्र स्व. प्रभू सिंह ने स्वयं के नाम हस्तानांतरण हेतु आवेदन किया है। जिसका नाम हस्तांतरण प्रस्तावित है।

अतः उक्त नाम हस्तानांतरण के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवें। अन्यथा बाद मियाद उक्त आवास का नाम हस्तानांतरण श्री महावीर सिंह पुत्र स्व. प्रभू सिंह के नाम कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

**कार्यालय नगर पालिका कापरेन जिला बून्दी ( राज. )**

क्रमांक:-न.पा.का./2025/603 दिनांक:-03.07.2025

**आपत्ति सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री रामलक्ष्मण जाति कुम्हार निवासी कापरेन जिला बून्दी (राज.) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर श्री रामकल्याण आ. श्री कजोड़ जाति कुम्हार निवासी कापरेन के नाम बने फ्री होल्ड आवासीय रजिस्टर्ड पट्टा क्रमांक 174 दिनांक 10.1.2023 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट अर्थात 111.52 वर्गमीटर में से 600 वर्गफीट अर्थात 66.6 वर्गगज के हिस्से को श्रीमती मीना कुमारी द्वारा रजिस्टर्ड खरीद किया गया है। उक्त खरीद शुदा हिस्से का स्वयं के नाम नामान्तरण करवाने हेतु पालिका में आवेदन प्रस्तुत किया है। जिनके संबंध में दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो वह अपनी आपत्ति 7 दिवस में कार्यालय नगरपालिका में प्रस्तुत कर सकते है। अवधि पश्चात आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कापरेन

**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक:-एफ/तहसील/क.ब./2025/1066 दिनांक:-4.7.25

**नाम हस्तान्तरण हेतु विज्ञप्ति आम सूचना**

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के तहत सर्वे संख्या 266 कच्ची बस्ती बजरंगपुरा का पट्टा नियमन क्रमांक नियम/आवंटन/169 दिनांक 04.03.2014 को श्रीमती मोडी पत्नी स्व. छोटूलाल को आवंटित किया गया था। आवंटी श्रीमती मोडी का स्वर्गवास दिनांक 15.08.2018 को हो जाने के कारण विधिक वारिसानों द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित रजिस्ट्रर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 15.05.2025 से शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रमेश पुत्र श्री छोटूलाल ने स्वयं के नाम हस्तानांतरण हेतु आवेदन किया है। जिसका नाम हस्तांतरण प्रस्तावित है।

अतः उक्त नाम हस्तानांतरण के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवें। अन्यथा बाद मियाद उक्त आवास का नाम हस्तानांतरण श्री रमेश पुत्र श्री छोटूलाल के नाम कर दिया जावेगा।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

**कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान**

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा, Website : www.kotamc.org | E-mail : nnksouth@gmail.com

**-:: आवश्यक आम-सूचना ::-**

स्वच्छ भारत पेड़ लगाओ

कोटा शहर को सुन्दर बनाये

स्वस्थ भारत जीवन बचाओ

**राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 एवं संशोधित अधिनियम 2015 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने पर दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें जुर्माना या 2 वर्ष का कारावास का प्रावधान है।**

**-:: उक्त कार्य गलत है अवैध कृत्य की श्रेणी में आते हैं तथा अधिनियम के तहत अपराध है ::-**

- निजी मकान मालिक / संस्थान / मॉल की छत एवं दिवारों पर होर्डिंग्स / वॉलड्राप आदि लगाकर स्कूल, कोचिंग, होटल, अस्पताल आदि के अवैध विज्ञापन नहीं करें उक्त विज्ञापन पूर्णतया प्रतिबन्धित एवं निषेध है। विज्ञापनदाता को भी दोषी माना जावेगा।
- सरकारी सम्पत्ति पर फ्लैक्स/स्टीकर/बैनर/पम्पलेट आदि चस्पा कर सूचना या अवैध विज्ञापन नहीं करें।
- सरकारी विद्युत पोलों, परकोटा की दिवारों पर, बस स्टेण्ड / बस शेल्टर, फ्लाई ओवर के नीचे / ऊपर की दीवारों, पेशाबघर, सुलभ शौचालय आदि पर विज्ञापन चस्पा नहीं करें।
- विद्युत पोलों एवं साईडो के पोलों पर बगैर अनुमति विज्ञापन के बोर्ड नहीं लटकायें।
- केडीए की दिशा-सूचक गेन्ट्री पर अवैध विज्ञापन जन्मदिन, फ्लैक्स, बधाई संदेश आदि ना लगावें।
- बगैर अनुमति के यूनिपोल / होर्डिंग्स स्थापित कर अवैध विज्ञापन नहीं करें।
- सरकारी दीवारों, सर्किल की दीवारों पर व विद्युत पोलों पर हस्तलिखित पेन्टिंग कर विज्ञापन नहीं करें।
- सरकारी होर्डिंग्स जो कि सरकारी प्रचार-प्रसार के लिए लगे हुए है उन पर धार्मिक, जन्मदिन, बधाई संदेश, विज्ञापन आदि नहीं करें।
- सड़क के बीच, साईडों पर एवं डिवाईडरों पर अपने व्यवसाय एवं निवास के दिशा सूचक व साईन बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड नहीं लगावें।

**-:: उक्त कार्य गलत है अपराध की श्रेणी में आते हैं ::-**

- रास्ता एवं सरकारी पार्कों आदि में टेन्ट लगाकर किसी भी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु रास्ता / सड़क बंद नहीं करें और ना ही पार्कों का कार्यक्रम हेतु उपयोग करें। उक्त कार्य में टेन्ट व्यवसायी को भी दोषी माना जावेगा।
- कच्चा मांस / मटन / मुर्गा / मछली आदि का अवैध रूप से बैचान / संचालन नहीं करें।
- आम सड़क एवं मुख्य चौराहों पर बगैर अनुमति के स्वागत द्वार नहीं लगावें।
- प्राईवेट संस्था कम्पनी / एजेन्सी / व्यक्ति विशेष निगम की अनुमति के बगैर रोड़ कटिंग नहीं करें एवं सड़क को खोदकर खराब / नुकसान नहीं करें।
- दुकानदार फुटपाथ पर अपने व्यवसाय से सम्बन्धित सामान फैलाकर अतिक्रमण नहीं करें।
- आमजन अपने पालतू जानवर गाय, भैस, आदि को सड़कों पर खुला नहीं छोडे।
- मुख्य सड़कों / चौराहों पर जानवरों को चारा आदि नहीं डालें।
- सरकारी भूमि पर एवं सरकारी भूखण्डों पर अतिक्रमण नहीं करें।
- ठेला व्यवसायी मुख्य सडकों पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित नहीं करें।
- आम रास्ता / फुटपाथ / सड़क पर फुटकर विक्रेता अतिक्रमण कर व्यवसाय से सम्बन्धित सामान का बैचान नहीं करें।

नोट : उक्त कृत्य करते पाये जाने पर दोषी से जुर्माना वसूलने की कार्यवाही / सम्बन्धित थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की जाकर 02 वर्ष का कारावास से दण्डित किया जाना शामिल है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

आमजन अपने पालतू जानवर गाय, भैस आदि को सड़कों पर खुला नहीं छोड़े। | दुकानदार फुटपाथ पर व्यवसाय से सम्बन्धित सामान फैलाकर अतिक्रमण नहीं करें। | सरकारी सम्पत्ति पर फ्लैक्स, स्टीकर, बैनर आदि चस्पा कर सूचना या अवैध विज्ञापन नहीं करें। | केडीए की दिशा सूचक अवैध विज्ञापन फ्लैक्स, बधाई संदेश आदि ना लगावें। | निजी मकान की दिवारों पर वॉलड्राप, अवैध विज्ञापन नहीं करें।

**नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा जनहित में प्रसारित**

अनुराग भार्गव RAS
आयुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण